ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow
(Uttar Pradesh State Government University)

G20 भारत 2023 INDIA

पत्रांकः 148 /भाविवि/कुसका/2023/ दिनांक : 31 जनवरी, 2023

कार्य परिषद् की कार्यवाही

दिनांक 31 जनवरी, 2023 को अपरान्हः 3:00 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही :

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे :

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 हरिहर प्रसाद शुक्ल, पूर्व प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
3.	प्रो0 अरूनभ चटर्जी, पूर्व संकायाध्यक्ष वाणिज्य लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य	सदस्य
5.	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष–सामाजिक विज्ञान	सदस्य
6.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू, (सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग)	सदस्य
7.	प्रो0 मसऊद आलम, आचार्य–अरबी, (सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग)	सदस्य
8.	प्रो0 तनवीर खदीजा, आचार्य–अंग्रेजी विभाग	सदस्य
9.	प्रो0 सैयद हैदर अली, आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
10.	डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 तत्हीर फातिमा, सह आचार्य–गृह विज्ञान	सदस्य
12.	डॉ0 वसी अहमद आज़म अंसारी, सहायक आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
13.	डॉ0 पूनम चौधरी, सहायक आचार्य–इतिहास विभाग	सदस्य
14.	श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, वित्त अधिकारी	विशेष आमंत्रित
14.	श्री अजय कृष्ण यादव, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

बिन्दु संख्या–क :

कार्यालय आदेश संख्या–2116/भा.विवि/कुसका/2022, दिनांक 21–10–2022 के अन्तर्गत अनुशासनिक समिति द्वारा निम्नलिखित सह आचार्य/सहायक आचार्य के विरूद्ध तैयार किये आरोपत्र (मय संलग्नक – लिफाफे में बन्द) पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार:

1. श्री प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य–भूगोल
2. डॉ0 सैयद जमाल शब्बीर रिज़वी, सह आचार्य–उर्दू विभाग
3. डॉ0 लक्ष्मण सिंह, सहायक आचार्य–इतिहास विभाग
4. डॉ0 ऊधम सिंह, सहायक आचार्य–अर्थशास्त्र विभाग
5. डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य–राजनीतिशास्त्र विभाग।

निर्णय :

अनुशासनिक समिति द्वारा 1. श्री प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य–भूगोल, 2–डॉ0 सैयद जमाल शब्बीर रिज़वी, सह आचार्य–उर्दू विभाग, 3–डॉ0 लक्ष्मण सिंह, सहायक आचार्य–इतिहास विभाग, 4–डॉ0 ऊधम सिंह, सहायक आचार्य–अर्थशास्त्र विभाग एवं 5–डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य–राजनीतिशास्त्र विभाग के विरूद्ध तैयार किये आरोप पत्र को कुलसचिव द्वारा पढ़कर सुनाया गया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अनुशासनिक समिति द्वारा तैयार किये गये आरोप पत्र पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्त शिक्षकों को आरोप पत्र दिये जाने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया।

Add. : - Sitapur-Hardoi Bypass Road, Lucknow-226013 U.P. (India)
website : https://kmclu.ac.in/, e-mail : reg@kmclu.ac.in

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–ख :

कार्यालय आदेश संख्या–2136/भा.विवि/कुसका/2022, दिनांक 26–12–2022 के अन्तर्गत अनुशासनिक समिति द्वारा निम्नलिखित आचार्य/सह आचार्य/सहायक आचार्य के विरूद्ध तैयार किये आरोपत्र (मय संलग्नक – लिफाफे में बन्द) पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार:

1. प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, आचार्य–वाणिज्य संकाय
2. श्री संजीव कुमार त्रिवेदी, आचार्य, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
3. डॉ0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सह आचार्य–गणित
4. डॉ0 ममता शुक्ला, सह आचार्य–जैव प्रौद्योगिकी विभाग
5. डॉ0 शावेज़ अली सिद्दीकी, सहायक आचार्य–गणित
6. सुश्री निधि सोनकर, सहायक आचार्य, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग (प्रबन्धन विषय)
7. डॉ0 नदीम अहमद अंसारी, सहायक आचार्य, जैव प्रौद्योगिकी विभाग
8. डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य, जैव प्रौद्योगिकी विभाग
9. डॉ0 सुमन कुमार मिश्र, सहायक आचार्य, संगणक एवं अभियांत्रिकी विभाग।

निर्णय :

अनुशासनिक समिति द्वारा 1–प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, आचार्य, 2–प्रो0 संजीव कुमार त्रिवेदी, आचार्य (संविदा), 3–डॉ0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सह आचार्य (संविदा), 4–डॉ0 ममता शुक्ला, सह आचार्य (संविदा), 5–डॉ0 शावेज़ अली सिद्दीकी, सहायक आचार्य (संविदा), 6–सुश्री निधि सोनकर, सहायक आचार्य (संविदा), 7–डॉ0 नदीम अहमद अंसारी, सहायक आचार्य (संविदा), 8–डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य (संविदा) 9–डॉ0 सुमन कुमार मिश्र, सहायक आचार्य (संविदा) के विरूद्ध तैयार किये आरोप पत्र को कुलसचिव द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

कुलसचिव द्वारा डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य के आरोप पत्र को पढ़ते समय संज्ञान में आया कि आरोप पत्र में डॉ0 मानवेन्द्र सिंह के पद सहायक आचार्य के स्थान पर त्रुटिवश सह आचार्य अंकित हो गया है। इस बिन्दु को संज्ञान में लेकर कार्य परिषद् ने आरोप पत्र में डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, सह आचार्य के स्थान पर डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य (मूल पद) पर अनुमोदन प्रदान किया तथा अनुशासनिक समिति को तद्ोपरान्त पदनाम में त्रुटि को ठीक करके आरोप पत्र निर्गत करने का सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यपरिषद ने अनुशासनिक समिति द्वारा प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, आचार्य, वाणिज्य विभाग को दिये जाने वाले पूरक आरोप पत्र एवं उपरोक्त अन्य शिक्षकों के आरोप पत्र पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्त समस्त शिक्षकों को आरोप पत्र दिये जाने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–ग :

अनुशासनिक समिति के पत्र दिनांक 25–01–2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा को पूर्व निर्गत आरोप संख्या–27 के पृष्ठ संख्या–20 के प्रथम लाईन में त्रुटिवश दिनांकित 21–09–2020 के स्थान पर 21–08–2020 अंकित हो गया है। उक्त त्रुटि को संशोधित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा अनुशासनिक समिति के पत्र दिनांक 25–01–2023 के क्रम में प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा को पूर्व निर्गत आरोप संख्या–27 के पृष्ठ संख्या–20 के प्रथम लाईन में त्रुटिवश दिनांकित 21–08–2020 के स्थान पर 21–09–2020 होने का संज्ञान लेते हुए उसे ठीक कर प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, आचार्य–वाणिज्य विभाग को सूचित करने के लिये अनुमोदन प्रदान किया।

3/–

Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त बिन्दु :

प्राचार्य, शिया पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ के ई–मेल दिनांक 28 जनवरी, 2023 के माध्यम से प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के विरूद्ध प्राप्त पत्र मय संलग्नक पर कार्यवाही किये जाने पर विचार :

निर्णय :

प्राचार्य, शिया पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ के ई–मेल दिनांक 28 जनवरी, 2023 के साथ संलग्न वर्तमान प्राचार्य एवं पूर्व प्राचार्य के पत्र को कुलसचिव द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तदोपरान्त कार्य परिषद् के संज्ञान में आया कि शिया पी0जी0 कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य, डॉ0 एस0 शबीहे रज़ा बाकरी द्वारा पूर्व प्राचार्य–प्रो0 एम0एस0 नकवी को दिनांक 21–09–2022 को पत्र के माध्यम से प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा द्वारा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ में आचार्य पद के आवेदन पत्र को उनके द्वारा अग्रसारित किये जाने अथवा नहीं के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

तत्क्रम में शिया पी0जी0 कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य, प्रो0 एम0एस0 नकवी के पत्र दिनांक 14–11–2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ में आचार्य के पद के लिए भरे आवेदन फार्म को उनके द्वारा अग्रसारित नहीं किया गया था, फार्म पर जो हस्ताक्षर हैं, वह असत्य है।

उपरोक्त से कार्य परिषद् अवगत हुयी तथा विचारोपरान्त प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के विरूद्ध कार्यालय आदेश संख्या–2110/भाविवि/कु0का/2022/832/22 दिनांक 24 सितम्बर, 2022 द्वारा गठित अनुशासनिक समिति को उक्त पत्र मय संलग्नक अग्रेतर अन्तिम जांच में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रेषित करने के लिये सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

(अजय कृष्ण यादव)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner